(56)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1207-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-1-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 444/अपील/2013-14

1-ध्यानसिंह पिता प्रकाश सिंह राजपूत (अवयस्क)
भूतपूर्व अवयस्क अपने प्राकृतिक
संरक्षक माता शांताबाई पति प्रकाश सिंह किंतु अब वयस्क है
2-अंकितसिंह पिता प्रकाशसिंह राजपूत (अवयस्क)
भूतपूर्व अवयस्क अपने प्राकृतिक
संरक्षक माता शांताबाई पति प्रकाश सिंह किंतु अब वयस्क है
निवासी ग्राम बेडिया तहसील सनावद जिला खरगोन म0प्र0

.................आवेदकगण

विरूद्ध

1-जशोदाबाई विधवा हुकमसिंह
निवासी लोहारी तहसील सनावद जिला खरगोन
2-रोशनसिंह पिता हुकमसिंह राजपूत
निवासी लोहारी तहसील सनावद जिला खरगोन
3-अर्चना पिता हुकमसिंह पति शैलेन्द्रसिंह पंवार
निवासी ग्राम खुजावा तहसील धरमपुरी
जिला धार

.................अनावेदकगण

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0एन0फड़के, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-1-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा तहसील सनावद के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के दादा मनोहरसिंह पिता नत्थूसिंह राजपूत के नाम से ग्राम बेडिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 36/1 रकबा 1.056 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 36/18 रकबा 0.162 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 264/2 रकबा 0.738 हेक्टेयर कुल सर्वे क्रमांक 3 कुल रकबा 1.956 हेक्टेयर तथा ग्राम लछोरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 78/1 रकबा 1.214 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है । मनोहरसिंह पिता नत्थूसिंह की मृत्यु दिनांक 1-3-2008 को हो चुकी है । मृतक मनोहरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में एक नोटरी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 14-2-2008 को आवेदकगण के पक्ष में वसीयत कर दी थी। अत: उक्त वसीयत नामे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । इस आवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज दिनांक 26-10-2002 को आदेश पारित कर वसीयतनामें के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27-6-2014 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17-1-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को यथावत् रखने में त्रुटि की गई है क्योंकि अपर आयुक्त को विधिक दृष्टिकोण से यह देखना चाहिये था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यात्मक कथनों का विश्लेषण न करते हुये पारित किया होना प्रतीत होता है क्योंकि संपूर्ण आदेश का विधिक मापदंड एवं विधिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो केवल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन जबाव एवं कार्यवाहियों का उल्लेख आदेश में किया जाना प्रतीत होता है । अंत में पूर्ववर्ती भूमिस्वामीका नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा यह नहीं देखा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नोटरी के समक्ष निष्पादित वसीयत को यह मानाहै कि रजिस्ट्रेशन के अधिकार नोटरी को नहीं है और वसीयत, प्रकरण में सिद्ध नहीं हुई है इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित आंकलन न कर आलोच्य आदेश पारित करने में तथा द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेश को स्थिर रखने में वैधानिक भूल की है क्योंकि वसीयत के मानसिंह एवं भारतसिंह के कथन अंकित करवाए है और उनके द्वारा यह बताया कि निष्पादित वसीयत मनोहर सिंह द्वारा निष्पादित की गई थी एवं उनके हस्ताक्षर को उन्होंने साक्ष्य के दौरान प्रमाणित करवाया था । वैसे वसीयत का पहला सिद्धांत है कि उसे सिद्ध किया जाये। सिद्ध करने के लिये दो महत्वपूर्ण बिन्दु होते है उसमें से महत्वपूर्ण बिन्दु साक्षियों के कथन का है, उनके द्वारा यदि वसीयत प्रमाणित नहीं की गई तो वसीयत के आधार पर कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती, किंतु यदि वसीयत के साक्षी द्वारा यह बताया गया कि निष्पादक द्वारा वसीयत उनके सामने निष्पादित की गई तो इन परिस्थितियों में यदि नोटरी अथवा रजिस्ट्रेशन के बिना भी वसीयत प्रमाणित मानी जा सकती है । इसके लिये आवश्यक नहीं है कि वसीयत रजिस्टर्ड ही होना चाहिये अथवा नोटराइज्ड । इस स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखने में त्रुटि की गई है ।

(3) अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश बोलते हुये आदेश की श्रेणी में नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे

जाकर निगरानी निरस्त की जाये । यह भी कहा गया कि आवेदकपक्ष द्वारा पूर्व में इसी वसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा गया था जो खारिज किया गया था तब तहसील न्यायालय द्वारा एक बार आवेदन खारिज करने के बाद दुबारा उसी तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण किया जाना अवैधानिक है । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये यह निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दीवानी प्रकरण क्रमांक 24ए/2004 में आदेश दिनांक 14-5-2007 को उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छा एवं सहमति के व बिना किसी दबाव के समझौता डिक्री हुई थी, लेकिन तहसील न्यायालय ने इस डिक्री की अनदेखी कर नामान्तरण की कार्यवाही की है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । इस संबंध में 2005 आरएन 178 अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है -

> धारा 50 - निचले दो न्यायालयों के समरूप निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आर्देश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-1-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

रीडर